पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या- 94/2024 दिनांक- 20.03.2024

प्रेस- नोट

थाना- तहबरपुर

खुद की पत्नी हत्या करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 18.03.2024 को थाना तहबरपुर पर वादी सुदीप यादव पुत्र मधुबन यादव ग्राम पश्चिम पट्टी थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दिया कि वादी मुकदमा की बहन की शादी वर्ष 2013 में कन्हैया लाल पुत्र विद्याधर निवासी ग्राम आतापुर थाना तहबरपुर आजमगढ़ के साथ हिन्दू रीति रिवाज से हुई थी जिससे दो बच्चे है। वादी की बहन निजी व्यवसाय ब्यूटी पार्लर व जनरल स्टोर की दुकान चलाकर जीवकोपार्जन व धनार्जन करती थी। जमीन खरीदने के नाम पर उसके पति कन्हैया व अन्य लोग रुपये माँग रहे थे जबकि इसके पूर्व दो लाख रूपये दिया था अब रुपये देने मे असमर्थता जताई उसके लिए बहन को शारीरिक व मानसिक यातनाये भी दी गयी अन्त में दिनांक 17-03-2024 को समय लगभग दिन 1.30 बजे पति कन्हैया लाल पुत्र विद्याधर , ससुर विद्याधर पुत्र सुक्खू , देवर जयहिन्द पुत्र विद्याधर तथा सास उर्मिला देवी पत्नी विद्याधर ने उसकी हत्या कर असलियत छिपाने के लिए उसके शव को घर मे ही जला दिये, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 66/2024 धारा 302/201 भादवि विरूद्ध 1. कन्हैया लाल यादव पुत्र विद्याधर पति 2. विद्याधर पुत्र सुक्खू ससुर 3.जयहिन्द पुत्र विद्याधर देवर 4. उर्मिला देवी पत्नी विद्याधर सास समस्त साकिनान ग्राम आतापुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत होकर विवेचना थानाध्यक्ष मधुपनिका द्वारा संपादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

आज दिनांक 20/03/2024 को थानाध्यक्ष तहबरपुर मधुपनिका मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त कन्हैया यादव पुत्र विद्याधर यादव सा0 आतापुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ को ओहनी अन्डर पास से समय 11.55 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया व आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मेरी पत्नी का चरित्र ठीक नही था, जिसके सम्बन्ध में मेरे द्वारा उसको कई बार समझाया गया, परन्तु उसके अन्दर कोई सुधार नहीं हुआ। इस बात की जानकारी आसपास के लोगो के होने से मेरी काफी बदनामी हो रही थी। मै इन सभी बातो से आवेश में आकर दिनांक 17.03.2024 को समय 11.00 बजे के करीब उसे काफी मारा पीटा उसके पश्चात उसके ऊपर डीजल डालकर माचीस लगाकर जला दिया जिससे वह काफी जल गयी, इस घटना में मेरे माता-पिता भी सम्मलित रहें। वन्दना के आग से जल जाने के बाद मैने हल्ला मचाया कि आस-पास के लोग आ गये हम लोग वन्दना को तहबरपुर सरकारी अस्पताल में ले गये जहां डाक्टर ने वन्दना को मृत घोषित कर दिया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0स0 66/2024 धारा 302/201 भादवि थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः- कन्हैया यादव पुत्र विद्याधर यादव सा0 आतापुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम- थानाध्यक्ष मधुपनिका, मय हमराह थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

थाना- तहबरपुर

दुष्कर्म करने व अश्लील वीडियो बनाकर धमकी देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास– दिनांक 14.03.2024 को थाना तहबरपुर पर वादिनी / पीड़िता ने लिखित दिया कि विपक्षी विवेक कुमार पुत्र तुरन्ती राम सा0 धरसन थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर सम्बन्ध बनाया गया तथा अश्लील वीडियों बनाकर धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 63/2024 धारा 376/506 भादवि व 67ए आईटी एक्ट विरूद्ध 1. विवेक पुत्र तुरन्ती निवासी ग्राम धरसन थाना कन्धरापुर जिला आजमगढ 2. गौतम पुत्र शिवप्रसाद ग्राम बिडहर दुर्वाषा आजमगढ़ पंजीकृत होकर विवेचना निरीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह द्वारा संपादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण– दिनांक 19/03/2024 को व0उ0नि0 संजय सिह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विवेक कुमार पुत्र तुरन्ती राम सा0 धरसन थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ को बसही जरमजेपुर अन्डर पास से समय 22.05 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया व आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0स0 63/2024 धारा 376/506 भादवि व 67ए आईटी एक्ट थाना तहबरपुर जनपद

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः- विवेक कुमार पुत्र तुरन्ती राम सा0 धरसन थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 21 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम- व0उ0नि0 संजय सिह 2. का0 रत्नेश कुमार थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

थाना- बरदह

बरदह क्षेत्रान्तर्गत पूर्व प्रधान की हत्या की साजिश करने वाली वांछित 01 अभियुक्ता गिरफ्तार; पूर्व में 09 अभियुक्त हो चुके है गिरफ्तार

पूर्व की घटना – दिनांक 09.02.2024 को वादी मुकदमा चन्देलाल यादव पुत्र मुन्नीलाल यादव निवासी सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ने थाना बरदह पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 08.02.2024 को वादी के बड़े पिता जी के लड़के रणविजय यादव पुत्र स्व0 रामखेलावन उम्र करीब 50 वर्ष (मृतक) मार्टीनगंज बाजार से सब्जी लेकर शाम करीब 4.00 बजे घर की तरफ आ रहे थे कि बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान के सामने पहुँचे जहाँ पहले से हत्या करने के इरादे से 1.महेन्द्र यादव पुत्र स्व0 रामहित यादव 2. विरेन्द्र यादव पुत्र रामगनी यादव 3.फुर्तीलाल यादव पुत्र रामदुलार यादव 4. सुरेश यादव पुत्र स्व0 गनेश यादव 5. रामगनी यादव पुत्र स्व0 मंगरू यादव 6. छोटेलाल यादव पुत्र श्रीपत यादव समस्त निवासी ग्राम सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ने मृतक रणविजय यादव की मोटर साइकिल को रोककर असलहे से फायरिंग करने लगे जिससे रणविजय यादव की मौके पर मृत्यु हो गयी। मृतक रणविजय यादव की हत्या कराने की साजिश एक महिला ने रची थी। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 45/2024 धारा 302/120बी भा0द0वि0 बनाम 1.महेन्द्र यादव पुत्र स्व0 रामहित यादव आदि 07 नफर पंजीकृत कर विवेचना प्र0नि0 बरदह द्वारा की जा रही थी।

➡दिनांक 13.02.2024 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.महेन्द्र यादव पुत्र स्व0 रामहित यादव 2. वीरेन्द्र यादव पुत्र रामगनी यादव 3.फुर्तीलाल यादव पुत्र रामदुलार यादव 4. सुरेश यादव पुत्र स्व0 गनेश यादव 5. रामगनी यादव पुत्र स्व0 मंगरू यादव 6. छोटेलाल यादव पुत्र श्रीपत यादव समस्त निवासी ग्राम सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ बर्रा मोड़ से गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त वीरेन्द्र यादव पुत्र रामगनी यादव के निशान देही पर घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर व 01 फायरशुदा खोखा कारतूस 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, कमालपुर बेलवाना रोड से बरामद किया गया था।

➡ दिनांक-11.03.2024 को पुलिस मुठभेड़ के दौरान 03 अभियुक्त शूटर दीपचंद उर्फ दीपू निषाद उर्फ सिपाही पुत्र संता निषाद उम्र 28 वर्ष ग्राम गहजी थाना अहरौला आजमगढ़ तथा दो अन्य अभियुक्त 1. हरेंद्र यादव पुत्र खदेरन यादव उम्र 45 वर्ष ग्राम ओरिलगढ़वा थाना पवई, आजमगढ़, 2. संजय यादव पुत्र झनकू उम्र 28 वर्ष ग्राम खंजहापुर थाना फूलपुर आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया था।

➡ मुकदमा उपरोक्त में पूर्व ग्राम प्रधान की हत्या की साजिश करने वाली अभियुक्ता शर्मिला पत्नी स्व0 अनिल सा0 सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ फरार चल रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण-दिनांक 20.03.2024 को प्रभारी निरीक्षक अखिलेश मौर्य मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता शर्मिला पत्नी स्व0 अनिल सा0 सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को समय करीब 12.40 बजे भादो मोड़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 45/24 धारा 302/120बी/34भा0द0वि0 थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरणः- शर्मिला पत्नी स्व0 अनिल सा0 सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम – प्र0नि0 अखिलेश कुमार मौर्य मय हमराह थाना बरदह, आजमगढ़

थाना- महराजगंज

हत्या के 02 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माना

➡ दिनांक- 10.08.2006 को वादी मुकदमा भोरिक यादव पुत्र गनेश यादव निवासी परशुरामपुर थाना महराजगंज आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया था कि दिनांक- 06.08.2006 को विपक्षी 1. सुरेश चौरसिया पुत्र बरसाती निवासी जमिलपुर थाना महराजगंज आजमगढ़, 2. बाल कुरैशी पुत्र उस्मान कुरैशी निवासी जुड़ा खुर्द थाना महराजगंज आजमगढ़, 3. जब्बार पुत्र इलियास निवासी जुड़ा खुर्द थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी मुकदमा के भाई राजकुमार को वसुली की बात को लेकर हत्या कर कुएं में फेंक दिया गया था।

➡ नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0- 200/2006 धारा 302/201 भादवि0 पंजीकृत किया गया था।

➡ अभियुक्त जब्बार पुत्र इलियास उपरोक्त की मृत्यु हो चुकी है।

➡ मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय दाखिल किया गया।

➡ उपरोक्त मुकदमे में 10 गवाह परीक्षित हुए है।

➡आज दिनांक- 20.03.2024 को मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-05 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. सुरेश चौरसिया पुत्र बरसाती निवासी जमिलपुर थाना महराजगंज आजमगढ़, 2. बाल कुरैशी पुत्र उस्मान कुरैशी निवासी जुड़ा खुर्द थाना महराजगंज आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।